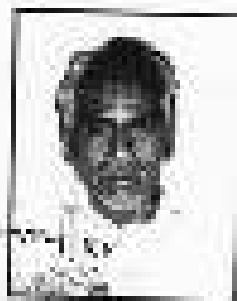


7/15/1968



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

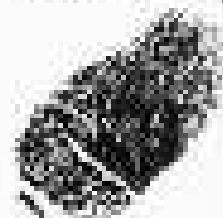


विक्रय विवेक

प्रतिफल की धनराशि - ₹ 7,00,000/-
 बाजार मूल्य - ₹ 5,98,000/-
 अदा किये गये जनरल स्टैम्प - ₹ 70,000/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - लखनऊ
3. प्रांत - अहमदाबाद
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 8055 एकड़

विमोचन





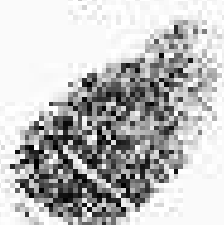
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



0.200 हे० का पूर्ण माग स्थित
स्थित-DA-आहमागक, परगना
तहसील व जिला लखनऊ।

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 5. | मापन की ईकाई | - | हेक्टेयर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.200 हेक्टेयर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुल्तानपुररोड व अमरशहीदपथ
से लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि |
| 9. | पेहों की स्थिति | - | नदी |
| 10. | बोरिंग/ कुआँ अन्य- | - | कुछ भी नहीं है। |

दिनांक 21/04/2024



आम्र प्रपति का अधिकार क्षेत्र है
[Signature]
[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 121978

चौहदवी खसरा नं० 805स

उत्तर : खसरा नं० 807
दक्षिण : खसरा नं०-804
पूर्व : खसरा नं०-806ग चकरोड
पश्चिम : खसरा नं०-808, 817

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
खगदीश पुत्र महावीर निवासी ग्राम- अडगावला परगना	:	असल प्रापटीज एण्ड इन्फार्मेटिव लि० रजिस्टर्ड आफिस 115, असल भवन,

निवासी

असल प्रापटीज एण्ड इन्फार्मेटिव लि०

असल प्रापटीज एण्ड इन्फार्मेटिव लि०

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0121979

-4-

तहसील व जिला लखनऊ।	16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, वर्तमान पता वाई0एम0सी0 ए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगा पाल सिंह वर्तमान व स्थायी पता वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
-----------------------	---

दिनांक 15/11/2015

Annual Properties & Mortgage Tax
Authority & Revenue

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 121977

-5-

व्यवसाय- कृषि

व्यवसाय- नीकरी

यह विक्रय मिलेख जगदीश पुत्र महावीर निवासी
ग्राम- अडमानक, परगना तहसील व जिला लखनऊ जिनमें
आगे किछेता कहा गया है एवम् अंसल प्रापटीज एवम्
हनाहान्द्रमवर लि० रजिस्टर्ड आफिस 115, अराल मवन,
16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, वर्तमान
पता वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री नीरेन्द्र प्रताप सिंह
जगदीश

अंश प्रमाणित है

अंश प्रमाणित है

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11.01.21.830

- 6 -

पुत्र श्री गंगा पाल सिंह वर्तमान व स्थायी पता
वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
जिन्हें आगे कंटा कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 8057 रकबा 0.200
है0 का पूर्ण भाग स्थित स्थल-ग्राम- अडनामऊ, मरगना,
तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है
तथा उपरोक्त सत्यापित वार्षिक खाता खातीनी क्रम सं0
00537 के अनुसार आदेश नमूने द्वारा प.क.23/05.02.2008

दिनांक 21/02/2008

Joint Presiding & Arbitrator's Office

Signature

ग्राम—अहममक, परगना तहसील व जिला लखनऊ की गादा संख्या—80681/0.200 है। जगदीश पुत्र मझावीर निवासी—ग्राम अहममक के नाम सकम्पणीय भूमेयर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता के नाम का अनल दरमद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कानिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, दिया, गिरवी या अनुवन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व वैधित उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यागारी के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही जुर्माना इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है। एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तर्ण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सगति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु० 7,00,000/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं

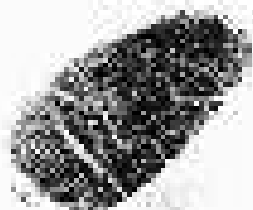


Attest Signature of Mr. ...

जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को काफ़ी बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन याधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में जुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी जुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकमग्न इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकमग्न इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त पुक्कसान गय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की मूल, अवल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। इस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा 1090 आवास एवं विकास परिषद,

लखनऊ



Handwritten signature and text, possibly a date or reference number, in the bottom right corner.

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि कंता विद्युत्सुदा सम्पत्ति की वांछित आरिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता सुगमता से चुकान करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम आहमागऊ अधिनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट प्राग के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकेज रेट रु० 23,00,000/- प्रति हेक्टेयर है चूंकि भूमि का विक्रय कम्पनी के मझ में हो रहा है इसलिए 30 प्रतिशत वृद्धि करते हुए रु० 29,90,000/- के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.200 हेक्टेयर की मामूली रेट रु० 5,98,000/- होगी है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की वांछा मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 70,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए कम की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नजदूर झुआं भी नहीं है तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अगर राष्ट्रीय मध्य से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का

(हस्ताक्षर)

कंता विद्युत्सुदा व विद्युत्सुदा लि.

(हस्ताक्षर)

सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय विवेक के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से सज्ज गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और एकत जखरत मरुने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रु० 7,00,000/- क्रेता से नगद प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 7,00,000/- (रुपया सात लाख मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी तारीख विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी भुगतान विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

जखनऊ

दिनांक : 14.02.2008

गवाह

1.

रमेश कुमार -

5/8 - 7-11 इलाका, जखनऊ -

म. जखनऊ - जखनऊ -

2. विक्रय तारीख मरुतिपुर

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

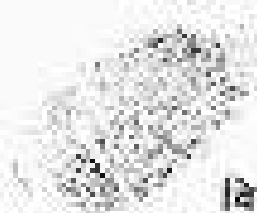
मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)



विक्रेता

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

क्रेता

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

तारीखकर्ता

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

मरुतिपुर के (ज. मरुतिपुर)

(मोनु कुमार)

सिविल कोर्ट, जखनऊ।

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

2/25/23
(a)

पित्रा

Registration No

1219

Year

2008

Book No.

1

0101 अश्वमेध

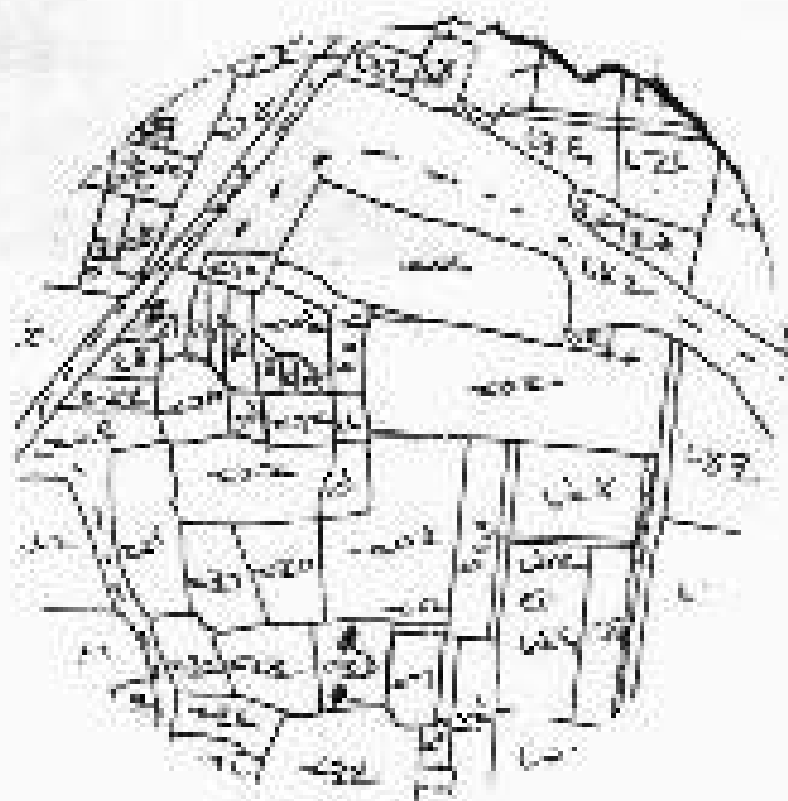
महर्षि

अश्वमेध मंत्र

२४



2318 - "A" Section, 10000 sq. ft. of land - 1960
 (10000 sq. ft. of land)



10000 sq. ft. of land

Annual Properties & Infrastructure Ltd.

10000 sq. ft. of land

10000 sq. ft. of land

पुलिस स्टेशन
मुंबई महानगर
का कागद नं. १००

वेव

Registration No. 1519

Year: 2008

Fork No. 1

0001 अंतर्गत प्राप्तिवत एका दफ्तरी, आज
वर्षी एकादशी-२००८ साली मृत्यु होऊ नये या
विषयावर आजचा याद द्यावा
येतो



दिशान अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

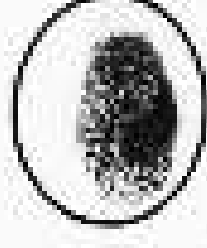
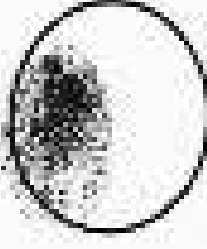
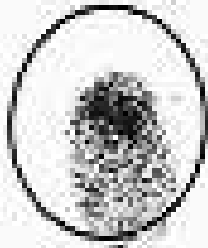
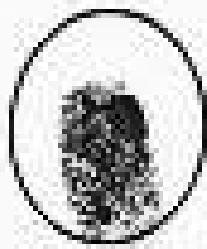
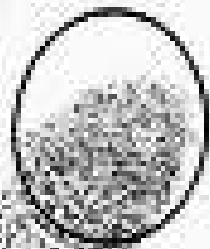
जिला/ब्लॉक का नाम व पता

मिर्जापुर जिला

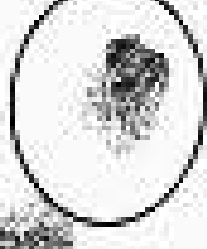
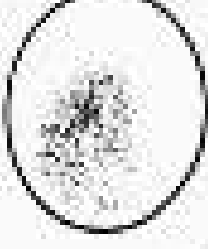
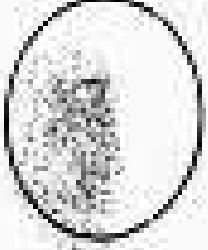
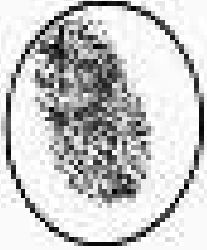
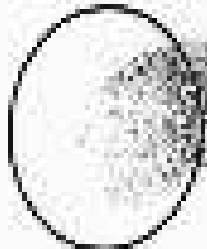
यहाँ हाथ के अंगुलियों के चित्र :-

अंगुली नं. 1

अंगुली नं. 2



यहाँ हाथ के अंगुलियों के चित्र :-

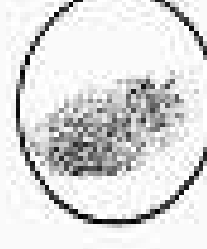
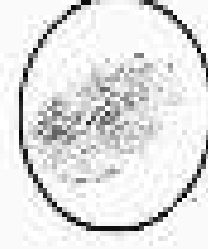
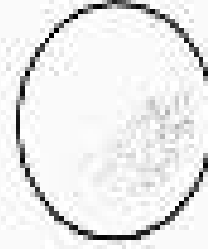
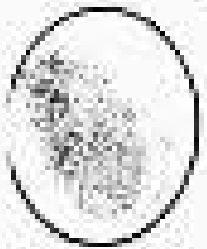


जिला/ब्लॉक का नाम व पता

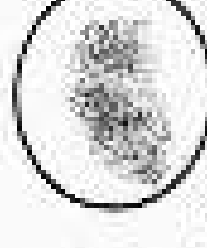
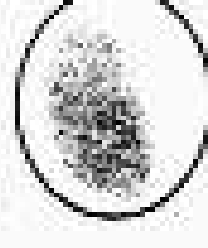
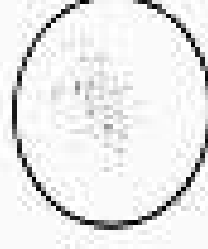
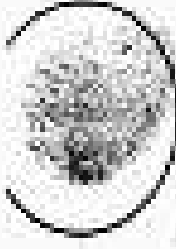
मिर्जापुर जिला

प्रमाणित/ब्लॉक के बल्लार

यहाँ हाथ के अंगुलियों के चित्र :-



यहाँ हाथ के अंगुलियों के चित्र :-



आवृत्ति प्रमाणित/ब्लॉक के बल्लार

प्रमाणित/ब्लॉक के बल्लार

जिला/ब्लॉक के बल्लार

आम दिनांक 14/02/2008 को

पृष्ठ सं 1 निम्न सं 7263

पृष्ठ सं 161 से 184 पर क्रमांक 1519

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

एम.एम.पाल

उप निदेशक (द्वितीय)

लखनऊ

14/2/2008

